कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
उ0प्र0,लोक निर्माण विभाग,लखनऊ

पत्रांक- /बी0डी0डी0-1(एनएच)/40एम0टी0-11/2022 दिनांक- . .2022

उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2022 का कार्यवृत्त

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक-21.06.2022 को आयोजित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0,लखनऊ

पत्रांक- 1984 /बी0डी0डी0-1(एनएच)/40एम0टी0-11/2022 दिनांक-25.06.2022

प्रतिलिपिः-

1. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रमुख अभियन्ता विकास महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/सदस्य लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
3. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)/सदस्य लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
4. मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/सदस्य लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-2)/सदस्य संयोजक लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0)/सदस्य लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य अभियन्ता (वाह्य सहायतित परियोजना)/सदस्य लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य अभियन्ता, (मध्यक्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य अभियन्ता, (भवन) लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य अभियन्ता(अयोध्या क्षेत्र) लो0नि0वि0,अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अधीक्षण अभियन्ता,रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईजेशन सेल, लो0नि0वि0,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर 'परिपत्र' श्रेणी में अपलोड करने हेतु।
13. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (सामान्य) लो0नि0वि0, लखनऊ को गार्ड फाइल में संलग्न करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0,लखनऊ

उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक–21.06.2022 का कार्यवृत्त–

एजेण्डा बिन्दु–1

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र) द्वारा **Tiki Tar and Shell India Private Limited** को **Bitumen Emulsion** के आपूर्तिकर्ता के रूप में अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि निदेशक अन्वेषणालय, लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में श्री सौरभ बैराठी, अधीक्षण अभियन्ता (अधिष्ठान) तथा सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ श्री अनिल यादव की टीम गठित की जाय। यह टीम **Tiki Tar and Shell India Private Limited** के पलवल स्थित प्लान्ट पर जाकर वहा उत्पाद किये जा रहे **Bitumen Emulsion** का परीक्षण, सुसंगत तकनीकी मानकों के अनुसार करेगी। तथा प्राप्त परिणामों पर आधारित सुविचारित आख्या प्रस्तुत करेगी। जिसे उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–2

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गो के टॉप लेयर में **IOCL** द्वारा उत्पादित मोडीफाईड बिटुमिन **(CRMB)** के प्रयोग किये जाने हेतु विचार करने के लिए ; **IOCL** के पत्र दिनांक–12.05.2022 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–78 कैम्प–प्र0अ0 विकास/03(मु0–1)/22 दिनांक–16.05.2022 द्वारा श्री धर्मवीर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता,रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी। जिसने दिनांक–02.06.2022 को जनपद मथुरा में **IOCL** रिफाइनरी का भ्रमण किया। समिति के अध्यक्ष अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अपनी विस्तृत आख्या पत्र सं0–2089/151c-NH circle/22 दिनांक–14.06.2022 द्वारा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की। उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उक्त आख्या को विस्तार से रखा व स्पष्ट किया गया तथा उनके द्वारा; लोक निर्माण विभाग में कराए जा रहे कार्यो के टॉप लेयर **(wearing course)** में **IOCL** द्वारा उत्पादित **Crumb rubber Modified Bitumen (CRMB)** को प्रयुक्त किये जाने की सशर्त अनुमति हेतु प्रस्तावित किया गया। जिस पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह अनुमोदित किया गया कि सभी वर्टिकल

अनुबन्धों एवं ई0पी0सी0 के कार्यों अथवा ऐसे कार्य जिसमें **CRMB** का बिना भण्डारण किये सीधे उपयोग किया जा सकता हो, वहाँ टॉप लेयर **(wearing course)** में **CRMB** का उपयोग करने की अनुमति दी गयी। **CRMB** की कार्टेज में प्रयुक्त होने वाले टैंकर में Stirring की व्यवस्था अनिवार्य होगी। खण्डीय भण्डारों या ऐसी साइट जहाँ भण्डारण की अपर्याप्त **(inadequate)** व्यवस्था हो, वहाँ **CRMB** का भण्डारण व उपयोग न किया जाय।

<u>एजेण्डा बिन्दु–3</u>

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य अभियन्ता, (अयोध्या) क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अयोध्या में सहादतगंज –नयाघाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (यूटीलिटी डक्ट, फुटपाथ एवं विद्युतीकरण सहित) के संशोधित आगणन पर, लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रस्तुत आगणन पर मुख्य अभियन्ता(अयोध्या क्षेत्र) एवं उनके साथ उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, (अयोध्या) एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, अयोध्या उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा पूंछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर नही दे सके। अतः उच्च स्तरीय समिति ने निर्देशित किया कि मुख्य अभियन्ता(अयोध्या) पूर्ण जानकारी के साथ दिनांक–23.06.2022 को सांय–5:00 बजे सम्बन्धित आगणन/परियोजना के बारे में पूर्ण विवरण सहित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दें। मुख्य अभियन्ता अपनी सहायता हेतु DPR Consultant एवं अन्य प्रासंगिक अधिकारियों को साथ ला सकते है। तदनुसार उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

<u>एजेण्डा बिन्दु–4</u>

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य अभियन्ता, (भवन) द्वारा उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन कार्यो हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन **Plinth area Rates, Schedule of Rates (DSR), Specifications, Analysis of Rates** इत्यादि को आवश्यकतानुसार अंगीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित 6 बिन्दु प्रस्तावित किये गये।

1. भवन कार्यों हेतु Plinth Area Rates के सम्बन्ध में –

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन **Plinth Area Rates** में सम्मिलित लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 को हटाने के उपरान्त दरों में 10 प्रतिशत कमी करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत जनपदीय कॉस्ट इण्डेक्स लगाने के उपरान्त अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया। जो उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमत्त किया गया।

आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस विभागीय नियमानुसार लागू होंगे।

2. भवन कार्यों हेतु Schedule of Rates (Civil/Electrical/E&M Sercives) के सम्बन्ध में –

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन **Delhi Schedule of Rates (Civil/Electrical/E&M Sercives)** में सम्मिलित लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 को हटाने के उपरान्त दरों में 10 प्रतिशत कमी करने के उपरान्त प्राप्त दर अनुमन्य होगी। दरों के आकलन हेतु सम्बन्धित जनपद का जनपदीय Cost index factor प्रयोग किया जायेगा। आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस विभागीय नियमानुसार लागू होंगे।

3. भवन कार्यों हेतु Schedule of Rates (Horticulture & Landscaping) के सम्बन्ध में –

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन **Delhi Schedule of Rates (Horticulture & Landscaping)** में से जी0एस0टी0 हटाने के उपरान्त प्राप्त दरों में 10 प्रतिशत कमी करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत जनपदीय कॉस्ट इण्डेक्स जोड़ने के उपरान्त अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया। जो उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमत्त किया गया। आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस विभागीय नियमानुसार लागू होंगे।

4. भवन कार्यों हेतु Cost Index के सम्बन्ध में –

उपरोक्त बिन्दु सं0–1 से 3 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत CPWD Plinth Area Rate एवं Delhi Schdules Of Rate (Civil/Electrical/E & M Sercives/Horticulture & Land scaping) की दरों को उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक परिदृष्य के अनुसार अद्यतन करने हेतु कॉस्ट इण्डेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। CPWD द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को दिल्ली हेतु कॉस्ट इण्डेक्स जारी होता है जिसके आधार पर दरों को अद्यतन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कार्यों हेतु भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कॉस्ट इण्डेक्स लगाया जाना आवश्यक

होगा। उत्तर प्रदेश के विस्तार को देखते हुए कॉस्ट इण्डेक्स हेतु प्रदेश को आठ भागों में विभाजित किया जाना तथा प्रत्येक भाग हेतु लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को नोडल बनाया जाना निम्नानुसार प्रस्तावित किया गयाः—

Nodal SE For Issuing Cost Index	Administrative divisions (Mandal) of UP / Zonal CE PWD	UPPWD Circle	Name of Districts				CPWD COST Index Station #
1	2	3	4	5	6	7	8
Meerut Circle	**Meerut**	**Meerut**	Meerut	Baghpat			**CPWD Cost Index shall be considered as per relevant and corresponding Current CPWD Cost index station in CPWD Uttar Pradesh. In future, if any station is added/removed by CPWD for Cost index, the corresponding concerned UPPWD Officials, should consider it before issuing UPPWD cost index.**
		Bulandshahr	Bulandshahr	Gautam Budh Nagar	Ghaziabad	Hapur	
	Saharanpur	**Saharanpur**	Saharanpur	Shamli	Muzaffar nagar		
Agra Circle	**Agra**	**Agra**	Agra	Mathura			
		Mainpuri	Mainpuri	Firozabad			
	Aligarh	**Aligarh**	Aligarh	Hathras	Etah	Kasganj	
Bareilly Circle	**Bareilly**	**Bareilly**	Bareilly	Shahjahanpur			
		Budaun-Pilibhit	Budaun	Pilibhit			
	Moradabad	**Moradabad**	Moradabad	Amroha	Sambhal		
		Rampur	Rampur	Bijnor			
Lucknow Circle	**Lucknow**	**Lucknow**	Lucknow	Raibareli			
		Sitapur-Kheri	Sitapur	Kheri			
		Unnao - Hardoi	Unnao	Hardoi			
	Ayodhya	**Ayodhya-Ambedkar Nagar**	Ayodhya	Barabanki	Ambedkar Nagar		
		Sultanpur-Amethi	Sultanpur	Amethi			
Jhansi Circle	**Jhansi**	**Jhansi**	Jhansi	Jalaun	Lalitpur		
	Kanpur	**Kanpur**	Kanpur Nagar	Kanpur Dehat			
		Etawah	Etawah	Auriya			
		Kannauj-Farukhabad	Kannauj	Farukhabad			
Gorakhpur Circle	**Gorakhpur**	**Gorakhpur**	Gorakhpur	Maharajganj			
		Deoria	Deoria	Kushinagar			
	Devipatan (Gonda)	**Gonda**	Gonda	Balrampur			
		Bahraich - Shrawasti	Shrawasti	Bahraich			
	Basti	**Basti**	Basti	Santkabir Nagar	Siddharth Nagar		
Varanasi Circle	**Varanasi**	**Jaunpur - Ghazipur**	Jaunpur	Ghazipur			
		Varanasi	Varanasi	Chandauli			
	Azamgarh	**Azamgarh**	Azamgarh				
		Ballia	Ballia	Mau			
	Vindhyachal (Mirzapur)	**Mirzapur**	Mirzapur	Bhadoi	Sonebhadra		
Prayagraj Circle	**Prayagraj**	**Prayagraj**	Prayagraj	Kaushambi			
		Pratapgarh - Fatehpur	Pratapgarh	Fatehpur			
	Chitrakoot Dham (Banda)	**Banda**	Banda	Chitrakut			
		Hamirpur	Hamirpur	Mahoba			

5. भवन कार्यों हेतु Specifications (Civil vol- 1& 2/ Electrical/Horticulture & Landscaping / E&M Service) के सम्बन्ध में :– भवन कार्यो हेतु पूर्व से प्रचलित विशिष्टियों को अतिक्रमित करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत विशिष्टियों को अंगीकृत किया जाना स्वीकार किया गया।

6. भवन कार्यों हेतु Analysis of Rates (Civil/Electrical/ E&M Service / Horticulture & Land scaping) के सम्बन्ध में –

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अद्यतन **CPWD Analysis of Rates (Civil/Electrical/ E&M Service / Horticulture & Land scaping)** के स्केलेटन को भी यथावत अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया। स्केलेटन से दर विश्लेषण हेतु ; Base rates अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

7. भवन कार्यों हेतु उपरोक्त बिन्दु–1 से 6 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में –

भवन कार्यों हेतु उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों (क्रम सं0–1 से 6) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन) को अधिकृत किया गया।

उपरोक्त निर्देशों के साथ बैठक समाप्त हुई।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–2) लो0नि0वि0, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना लो0नि0वि0, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (रा0मा0) लो0नि0वि0, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय–1) लो0नि0वि0, लखनऊ

21.6.2022

प्रमुख अभियन्ता (परि0 / नियो0) लो0नि0वि0, लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0, लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, लखनऊ